भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं0 920

06 फरवरी, 2020 को उत्तर के लिए

LoPN Hkkjr fe'ku&'kgjh ds vUrxZr fufèk dk vkoaVu vkSj mi;ksx

920- **MkWñ Jhdkar ,dukFk f'kans%**
MkWñ lqt; fo[ks ikVhy%
Jh èkS;Z'khy laHkkthjko ek.ks%
Jh gseUr rqdkjke xksM+ls%
Jh jathr flUgk fganwjko fuEckydj%

D;k **vkoklu vkSj 'kgjh dk;Z ea=h** ;g crkus dh d`ik djsaxs fd%

¼d½ foxr rhu o"kZ ds nkSjku LoPN Hkkjr fe'ku&'kgjh ¼,lch,e&;w½ ;kstuk ds varxZr jkT;&okj fdruh ek=k esa fufèk vkoafVr dh xbZ gS(

¼[k½ foxr rhu o"kks± ds nkSjku blds varxZr egkjk"Vª lfgr jkT;&okj fdruh fufèk tkjh dh xbZ gS(

¼x½ mi;qZDr ;kstuk ds varxZr jkT;&okj O;; dh xbZ@O;; u dh xbZ jkf'k fdruh gS(vkSj

¼?k½ D;k ljdkj us bl ;kstuk ds okafNr mís';ksa dks izkIr dj fy;k gS\

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) और (ख) : स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (एसबीएम-यू) के तहत राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को धनराशि का आबंटन समग्र मिशन अवधि (2014-2019) के लिए किया जाता है, न कि अलग-अलग वित्तीय वर्ष के लिए। तदनुसार, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को समग्र मिशन अवधि के लिए

निधियों का आबंटन और विगत तीन वर्षों के लिए जारी निधियों का ब्यौरा **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

(ग) : देय और प्राप्त उपयोग प्रमाण-पत्र (यूसी) का महाराष्ट्र सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार ब्यौरा **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

(घ) : स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (एसबीएम-यू) के अन्य बातों के साथ-साथ दो मुख्य उद्देश्य अर्थात शत-प्रतिशत खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) स्थिति और देश में उत्पन्न किए जा रहे नगरीय ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) का शत-प्रतिशत वैज्ञानिक प्रसंस्करण करना है। इस समय, पश्चिम बंगाल के 52 शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)को छोडकर सभी 35 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) के रूप में घोषित किया जा चुका है। देश के 84,475 वार्डों में नगरीय ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) का घर- घर से एकत्रीकरण (डीटीडी) 96 % और 74% स्रोत पर पृथक्करण का कार्य किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, प्रति दिन उत्पन्न होने वाले 1,48,945 टन प्रति दिन (टीपीडी) अपशिष्ट में से 60% (अर्थात 89,367 टीपीडी) का वैज्ञानिक रूप से प्रसंस्करण किया जा रहा है।

*****

दिनांक 06.2.2020 के लोक सभा अतारंकित प्रश्न सं. 920 के लिए भाग (क) और भाग (ख) के उत्तर के संबंध में उल्लिखित अनुलग्नक -I

" एसबीएम-यू के अधीन धनराशि का उपयोग और आवंटन"

क्र. सं.	राज्य / संघ शासित राज्य	कुल मिशन आवंटन	के दौरान राशि जारी की गई (करोड़ रुपए में)		
			2017-18	2018-19	2019-20 (31.01.2020 की स्थिति तक)
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	3.52	0.00	0.33	0.95
2	आंध्र प्रदेश	571.33	139.70	52.87	7.57
3	अरुणाचल प्रदेश	36.28	3.67	6.46	0.00
4	असम	244.30	46.55	55.90	83.70
5	बिहार	556.68	52.45	123.21	39.87
6	चंडीगढ़	28.02	0.00	2.08	18.79
7	छत्तीसगढ़	357.85	104.59	101.83	0.00
8	दादरा और नगर हवेली	4.13	0.39	0.72	0.00
9	दमन और दीव	2.58	0.00	0.61	0.05
10	दिल्ली	349.75	0.00	53.13	0.00
1 1	गोवा	17.09	3.56	0.00	3.27
12	गुजरात	834.15	102.42	279.46	0.00
13	हरियाणा	287.08	42.40	5.65	57.66
14	हिमाचल प्रदेश	43.95	0.00	6.20	7.63
15	जम्मू और कश्मीर	200.63	7.11	65.86	19.09
16	झारखंड	258.71	47.68	22.56	1.77
17	कर्नाटक	820.96	78.76	312.73	0.00
18	केरल	219.99	0.00	52.60	0.96
19	मध्य प्रदेश	920.04	293.87	0.00	26.72
20	महाराष्ट्र	1677.80	272.22	268.68	205.62
21	मणिपुर	83.10	3.03	23.24	3.76
22	मेघालय	24.12	3.25	0.00	3.36
23	मिजोरम	49.02	8.91	0.00	12.11
24	नगालैंड	53.49	0.00	17.72	9.89
25	ओडिशा	372.02	0.00	40.77	100.45
26	पुडुचेरी	28.94	0.00	0.00	0.58
27	पंजाब	364.02	126.33	0.00	22.27
28	राजस्थान	705.46	184.83	17.10	0.00
29	सिक्किम	11.52	1.08	0.00	0.93
30	तमिलनाडु	1200.50	66.05	374.49	236.19
31	तेलंगाना	413.74	26.80	19.62	0.00
32	त्रिपुरा	100.37	0.00	11.46	7.76
33	उत्तर प्रदेश	1740.98	592.14	359.18	73.58
34	उत्तराखंड	112.00	11.73	20.96	15.28
35	पश्चिम बंगाल	911.34	145.15	111.82	0.00
कुल		14013.46	2364.68	2407.23	959.82

दिनांक 06.2.2020 लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 920 के लिए भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित

अनुलग्नक -II

(रु करोड़ में)

क्र.सं.	राज्यों / संघ शासित राज्य	देय यूसी	प्राप्त यूसी	लंबित यूसी
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	0.42	0.11	0.30
2	आंध्र प्रदेश	456.99	456.99	0.00
3	अरुणाचल प्रदेश	19.97	17.23	2.74
4	असम	61.21	61.21	0.00
5	बिहार	222.87	186.59	36.28
6	चंडीगढ़	4.42	4.42	0.00
7	छत्तीसगढ़	256.02	256.02	0.00
8	दादरा और नगर हवेली	0.39	0.11	0.08
9	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00
10	दिल्ली	104.75	93.93	10.82
1 1	गोवा	11.86	10.13	1.72
12	गुजरात	506.54	499.39	7.15
13	हरियाणा	117.05	116.89	0.16
14	हिमाचल प्रदेश	16.87	16.51	0.36
15	जम्मू और कश्मीर	46.73	46.16	0.57
16	झारखंड	185.11	157.70	27.41
17	कर्नाटक	246.89	151.70	95.19
18	केरल	43.62	15.32	28.30
19	मध्य प्रदेश	721.36	608.36	113.00
20	महाराष्ट्र	589.31	589.22	0.09
21	मणिपुर	18.36	8.19	10.17
22	मेघालय	7.30	6.36	0.94
23	मिजोरम	19.77	19.77	0.00
24	नगालैंड	14.71	14.71	0.00
25	ओडिशा	105.08	105.08	0.00
26	पुडुचेरी	11.48	11.37	0.11
27	पंजाब	193.19	160.64	32.55
28	राजस्थान	594.25	591.61	2.64
29	सिक्किम	5.02	4.78	0.24
30	तमिलनाडु	490.44	490.44	0.00
31	तेलंगाना	176.63	151.89	24.74
32	त्रिपुरा	7.78	7.78	0.00
33	उत्तर प्रदेश	760.44	693.06	67.38
34	उत्तराखंड	21.84	20.62	1.22
35	पश्चिम बंगाल	298.60	254.46	44.14
	कुल	6337.26	5828.77	508.30